उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 अंक 24 16-31 दिसंबर 2021 ₹ 20/-

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध

- झारखंड में भीड़ द्वारा हत्या को रोकने का कानून
- तालिबान द्वारा महिलाओं की यात्रा पर प्रतिबंध
- दुबई शासक तलाक हेतु पत्नी को 55 करोड़ पाउंड देंगे
- मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम में पूजा करने की याचिका खारिज

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध 04
दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत विवाद के घेरे में 06
झारखंड में भीड़ द्वारा हत्या को रोकने का कानून 08
गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में 10
उर्दू की उपेक्षा का विवाद 12

विश्व

तालिबान द्वारा महिलाओं की यात्रा पर प्रतिबंध 14
अफगानिस्तान में विफलता की जांच के लिए आयोग 15
फ्रांस की एक मस्जिद पर ताला 16
पाकिस्तान आतंकवाद के जाल में 17
यूक्रेन और रूस के बीच समझौते की संभावना 18

पश्चिम एशिया

दुबई शासक तलाक हेतु पत्नी को 55 करोड़ पाउंड देंगे 19
गोलन पठार पर यहूदी आबादी दोगुनी करने का फैसला 20
मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमीन के नेता को उम्रकैद की सजा 21
सऊदी अरब में क्रिसमस की धूम 22
सऊदी अरब का हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियान 23

अन्य

मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम में पूजा करने की याचिका खारिज 24
जाकिर नाइक के संगठन से मुस्लिम युवक दूर रहें 24
शबनम शेख की गिरफ्तारी की मांग 25
सऊदी अरब द्वारा अफगानिस्तान को सहायता 25
बेनजीर भुट्टो की बरसी पर अवकाश 25

सारांश

मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में वृद्धि करने का जो निर्णय किया है उसका मुसलमानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम नेता इस विरोध के कारणों को स्पष्ट रूप से पेश नहीं कर रहे हैं मगर मुसलमानों के धार्मिक नेताओं ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसकी पूर्ति के लिए ही यह कदम उठाया गया है। उनका कहना है कि शरिया के अनुसार लड़की और लड़के के निकाह के लिए कोई भी न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। निकाह किसी भी उम्र में हो सकता है मगर लड़की की मायके से विदाई तभी की जाती है जब उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है। मुसलमानों के विभिन्न राजनीतिक संगठनों के नेता शरिया और समान नागरिक संहिता के विवाद की सीधे शब्दों में चर्चा करने से बच रहे हैं। उनकी ओर से यह मांग की जा रही है कि सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि यदि लड़कियों की शादी की उम्र में वृद्धि की गई तो उससे समाज में व्यभिचार फैलेगा और यौन अपराधों में वृद्धि होगी। उन्होंने मांग की है कि इस मामले पर सरकार को मुस्लिम धार्मिक नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए था। दूसरी ओर मुस्लिम लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा सरकार का खुलकर समर्थन कर रहा है। हैदराबाद और तेलंगाना में कई स्थानों पर बुर्कापोश लड़कियों ने खुलेआम इस सरकारी फैसले का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीरों को फूल-माला पहनाकर उन्हें दूध से नहलाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी प्रयागराज में अपने भाषण में कहा है कि सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में जो वृद्धि की है उसका लड़कियों की ओर से तो स्वागत किया जा रहा है मगर कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है।

दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की मरम्मत को लेकर शाही इमाम अहमद बुखारी ने जो नया विवाद खड़ा किया है उसकी सड़क से लेकर संसद तक चर्चा हो रही है। इसी वर्ष के प्रारंभ में शाही इमाम अहमद बुखारी ने यह आरोप लगाया था कि केन्द्र सरकार की उपेक्षा के कारण एतिहासिक जामा मस्जिद की हालत दिन-प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। जब संसद में इस मामले को एक मुस्लिम सांसद पी.वी. अब्दुल वहाब द्वारा उठाया गया तो केन्द्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यह सफाई पेश की कि क्योंकि जामा मस्जिद पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है इसलिए पुरातत्व विभाग उसका मरम्मत नहीं करवा सकता। जब बहुजन समाज पार्टी के एक मुस्लिम सांसद कुंवर दानिश अली ने इस मामले को लोकसभा में उठाया तो संस्कृति और पर्यटन विभाग के मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि यदि राज्य सरकार केन्द्र से अनुरोध करेगी तो इस मामले पर विचार किया जा सकता है। चुनाव की धमक शुरू होने के कारण यह विवाद राजनीतिक रंग ले रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी कि वह एक विशेष मामले के रूप में जामा मस्जिद की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करे।

अफगानिस्तान में तालिबान अब पुराने रंग में आ रहे हैं। विश्व के विभिन्न देशों के विरोध के बावजूद उन्होंने वहां पर शरिया कानूनों को धीरे-धीरे लागू करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने यह आदेश जारी किया है कि कोई भी महिला अकेले यात्रा नहीं करेगी और जो इस कानून का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसके साथ ही तालिबान ने यह भी आदेश जारी किया है कि किसो भी विज्ञापन के साथ महिला का चित्र प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। इससे पूर्व इस बात की भी घोषणा की जा चुकी है कि भविष्य में अफगानिस्तान का शासन इस्लामिक शरिया कानूनों के अनुसार चलाया जाएगा और उसी के तहत अपराधियों को हाथ-पांव काटने की सरेआम सजा दी जाएंगी।

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध

इंकलाब (22 दिसंबर) के अनुसार केन्द्र सरकार ने विपक्ष और मुस्लिम नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक संसद से पारित करवा लिया है। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक को स्थाई समिति को भेजा जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होते ही दो वर्ष के अंदर इसे समाज के सभी धर्मों पर लागू कर दिया जाएगा।

रोजनामा सहारा (23 दिसंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रयागराज में भाषण देते हुए कहा है कि वे महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में वृद्धि का कानून लाए हैं, जिसका देश भर की लड़कियां स्वागत कर रही हैं जबकि कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। जब 18 वर्ष की लड़की प्रधानमंत्री चुन सकती है और वह लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकती है तो उसे शादी के अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा कि यह बिल जल्दबाजी में राजनीतिक कारणों से लाया गया है। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं।

रोजनामा सहारा (17 दिसंबर) के अनुसार इस कानून का विरोध मुस्लिम संगठन और खाप पंचायतें कर रही हैं। मगर इसके बावजूद सरकार जिद के कारण इसे लागू कर रही है।

सियासत (22 दिसंबर) के अनुसार केन्द्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की आयु में जो वृद्धि की है उसके पक्ष में भाजपा ने पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभियान शुरू कर दिया है। हैदराबाद के नामपल्ली गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक समारोह में बुर्कापोश लड़कियों ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि मुस्लिम संगठन इस तानाशाही फैसले

का जुबानी विरोध कर रहे हैं और इस संबंध में अभी तक वे सड़क पर नहीं उतरे हैं। यह अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप है।

इत्तेमाद (25 दिसंबर) के अनुसार विभिन्न मुस्लिम उलेमाओं ने इस निर्णय को इस्लाम और शरीयत में हस्तक्षेप करार दिया है और यह आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में लड़कियों के निकाह के लिए न्यूनतम आयु की कोई शर्त नहीं है। उम्र के किसी भी पड़ाव में लड़के या लड़की का निकाह हो सकता है। मगर जब तक लड़की का मासिक धर्म शुरू नहीं होता है उससे शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि हदीस के अनुसार हजरत मोहम्मद ने हजरत आयशा से छह वर्ष की उम्र में निकाह किया था और नौ वर्ष की उम्र में उसे पैगम्बर के घर भेजा था। जहां तक भारत का संबंध है जब हमारे देश में इस्लामिक हुकूमतें थीं तो यहां पर शरिया कानून लागू थे। बाद में धीरे-धीरे अंग्रेजों ने उन्हें रद्द करके उनके स्थान पर ब्रिटिश कानून लागू कर दिए और अब हमारी शरिया में वर्तमान सरकार हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार समान नागरिक संहिता को लाग् करने का प्रयास चोर दरवाजे से कर रही है इसलिए मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए।

सियासत (20 दिसंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी ने इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि सरकार को इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि भारत में 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है इसलिए अगर इस देश में शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष की गई तो इससे व्यभिचार फैलेगा। और लड़कियों और लड़कों के गुमराह होने का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर शरिया के खिलाफ इस कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

औरंगाबाद टाइम्स (21 दिसंबर) ने भी इस सरकारी फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शादी की उम्र बढ़ाने से समाज में व्यभिचार फैलेगा। इसलिए यह जरूरी है कि इस फैसले को वापस लिया जाए और इस संबंध में इस्लाम के धार्मिक विद्वानों से सलाह-मशविरा करने के बाद ही इसे लागू किया जाए।

सियासत (21 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में विवाह की उम्र बढ़ाने के कानून को नरेन्द्र मोदी सरकार का तानाशाही फैसला करार दिया है और कहा है कि इसके बुरे नतीजे होंगे और इससे अवैध यौन संबंधों की घटनाओं में भारी वृद्धि होगी। समाचारपत्र ने देशवासियों से अपील की है कि वे इसका विरोध करें।

इंकलाब (24 दिसंबर) ने कहा है कि यह कानून इस समय देश में विभिन्न धर्मों के लिए लागू कानूनों का उल्लंघन है। शारदा बाल विवाह निरोधक कानून में पहले हिंदू लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष थी, जिसे 1955 में बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में भी यही व्यवस्था है। मुसलमानों में निकाह के लिए कम-से-कम आयु की कोई व्यवस्था नहीं है। लड़की और लड़के का निकाह किसी भी उम्र में किया जा सकता है। मगर इन दोनों में यौन संबंध उसी समय होने चाहिए जब लड़की का मासिक धर्म शुरू हो जाए। समाचारपत्र ने कहा है कि यह कानून शरिया एक्ट के खिलाफ है और इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। बेहतर यह होता कि सरकार लड़कियों के विवाह के उम्र में वृद्धि करने की बजाय उनके लिए शिक्षा के

अधिक-से-अधिक अवसर उपलब्ध करवाने पर ध्यान देती। उनके आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय किए जाते मगर सरकार को इन बातों को कोई चिंता नहीं है और उस पर सिर्फ शादी की उम्र बढ़ाने का ही भूत सवार है।

रोजनामा सहारा (24 दिसंबर) ने भी अपने संपादकीय में इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। समाचारपत्र ने कहा है कि पिछले वर्ष 15 अगस्त को लालकिले पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लड़कियों की शादी का उम्र बढ़ाने का संकेत दिया था और इसके बाद जया जेटलो के नेतृत्व में एक दस सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई थी, जिसमें इस मामले पर विचार करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के संदर्भ में सिफारिश करने का निर्देश दिया गया था। समाचारपत्र ने इस बात पर जोर दिया है कि बेवजह विवाद पैदा करने की बजाय सरकार को महिलाओं के लिए सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

इंकलाब (24 दिसंबर) के अनुसार मुसलमानों में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने कहा है कि इस फैसले से सामाजिक बुराईयां फैलेंगी और यह फैसला इस देश के सभी लोगों को पसंद नहीं होगा। मुस्लिम मजलिस मुशावरात के डॉ. जफरूल इस्लाम ने कहा है कि जब लड़की इस देश में 14 वर्ष की उम्र में ही शादी के योग्य हो जाती है तो उस पर 21 वर्ष तक शादी न करने की पाबंदी लगाना सरासर गलत है। शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद मोहम्मद मोहसिन तकवी ने इस फैसले को मुसलमानों के धार्मिक मामले में अनुचित हस्तक्षेप की संज्ञा दी है।

दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत विवाद के घेरे में

इंकलाब (19 दिसंबर) के अनुसार दिल्ली की 500 वर्ष से भी अधिक पुरानी जामा मस्जिद की मरम्मत का मामला इन दिनों विवाद के घेरे में है। राज्य सभा में जब एक मुस्लिम सांसद पी.वी. अब्दुल वहाब ने जामा मस्जिद की मरम्मत का मुद्दा उठाया तो केन्द्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जामा मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम 1958 के अंतर्गत नहीं आती इसलिए इसकी मरम्मत का काम केन्द्र सरकार नहीं करेगी। जबकि लोकसभा में कुंवर दानिश अली ने जब इस मामले को उठाया तो केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि देश में 4000 संरक्षित स्मारक हैं जो केन्द्रीय पुरातत्व विभाग को सूची में हैं मगर इनमें जामा मस्जिद शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए हमसे आग्रह करेगी तो हम इस पर विचार करेंगे।

गत कुछ महीनों से जामा मस्जिद की मरम्मत का मामला सड़क से लेकर संसद तक चर्चा का विषय बना हुआ है।

रोजनामा सहारा ने अपने 17 दिसंबर के अंक में इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें इस विवाद के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी की यह शिकायत है कि वे जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय पुरातत्व विभाग को 6 जून से निरंतर पत्र लिख रहे हैं मगर उन्हें अभी तक एक भी पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अहमद बुखारी का दावा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर 2014 तक भारत सरकार इस

ऐतिहासिक मस्जिद की मरम्मत करवाती रहो है। मगर अब सरकार का इस संबंध में रवैया बदल गया है। समाचारपत्र के अनुसार दिल्ली के एक निवासी मोहसिन बाबर ने 2 नवंबर, 2020 को आरटीआई के माध्यम से गत पांच वर्षों में जामा मस्जिद की मरम्मत पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गए खर्चे का विवरण मांगा था। सरकारी सूचना क अनुसार 4 वर्ष की अवधि में 43 लाख 10 हजार 956 रुपये जामा मस्जिद की मरम्मत पर खर्च किए गए। अहमद बुखारी का यह भी कहना है कि उन्होंने इस संदर्भ में आगा खान फाउंडेशन को भी 21 जून को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे जामा मस्जिद की मरम्मत करवाने का अनुरोध किया था। फाउंडेशन ने उन्हें सूचित किया है कि जब तक केन्द्र सरकार उन्हें निर्देश नहीं देती वे किसी ऐतिहासिक इमारत की मरम्मत का काम अपने हाथ में नहीं ले सकते।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने जामा मस्जिद का दौरा करके इस मामले पर शाही इमाम से विस्तृत रूप से बातचीत की है। उनके निर्देश पर इंजोनियरों की टीम तीन बार जामा मस्जिद का निरीक्षण करके उसकी मरम्मत के बारे में योजना बना चुकी है। अमानतुल्लाह ने कहा कि क्योंकि जामा मस्जिद की पानी निकासी व्यवस्था बहुत पुरानी है इसलिए मस्जिद के विभिन्न भागों में पानी के रिसने के कारण पत्थर गिरते रहते हैं। इसलिए हमने पहले इसे सुधारने का फैसला किया है। इस पर दो करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा। जहां तक जामा मस्जिद की संपूर्ण मरम्मत का संबंध है उस पर 40 से 45 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले पर टालमटोल कर रही है।

आम आदमी पार्टी के मटिया महल क्षेत्र के विधायक शोएब इकबाल ने आरोप लगाया है कि जब से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से वह जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए पैसे नहीं देना चाहती इसलिए वह तरह तरह के बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले जामा मस्जिद के मरम्मत का काम होता रहा है वैसे ही होता रहना चाहिए। वे इस संदर्भ में दिल्ली के उपराज्यपाल से भी भेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि अहमद बुखारी ने उन्हें अनेक सरकारी दस्तावेज दिखाए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि 1956 से लेकर 2019 तक जामा मस्जिद की मरम्मत का काम भारतीय पुरातत्व विभाग विशेष मामले के रूप में करवाता रहा है। मगर अब इसे रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने भी इस मामले को संसद में उठाने का वायदा किया है।

इंकलाब (13 दिसंबर) के अनुसार कांग्रेसी नेता मीम अफजल ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार जानबूझकर जामा मस्जिद की देखरेख में सौतेला व्यवहार कर रही है। अन्य धर्मों के उपासना स्थलों की मरम्मत जब केन्द्र सरकार

करवा सकती है तो जामा मस्जिद के मामले में क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अगर सरकार के पास फंड नहीं है तो वह आगा खान फाउंडेशन को इसकी जिम्मेवारी दे सकती है। उन्होंने कहा कि वी.पी. सिंह के शासनकाल में उनके प्रयासों से केन्द्र सरकार ने जामा मस्जिद की मरम्मत पर एक करोड़ खर्च किए थे। समाचारपत्र ने यह भो दावा किया है कि 2006 में जब सऊदी अरब के शाह यहां पर आए थे तो उन्होंने जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की पेशकश की थी मगर केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

इंकलाब (19 दिसंबर) के अनुसार प्रो. अख्तरुल वासे ने यह दावा किया है कि 10 अगस्त 2004 को शाही इमाम अहमद बुखारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को इस संदर्भ में पत्र लिखा था, जिसमें उनका ध्यान इस ओर दिलाया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग कुछ वर्षों से जामा मस्जिद की मरम्मत नहीं करवा रहा है। इस विभाग ने उन्हें यह सूचित किया था कि जब तक जामा मस्जिद संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाता वे उसकी मरम्मत करवाने में लाचार है। इसके उत्तर में 20 अक्टूबर, 2004 को डॉ. मनमोहन सिंह ने इमाम को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने इसकी मरम्मत करवाने का पुरातत्व विभाग को निर्देश दे दिया है। उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सरकार का जामा मस्जिद के बारे में रूख बदल गया है। उन्होंने केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी से आग्रह किया है कि अगर उनका दावा 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' सही है तो उन्हें जामा मस्जिद की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करवा देना चाहिए।

झारखंड में भीड़ द्वारा हत्या को रोकने का कानून

इंकलाब (22 दिसंबर) के अनुसार झारखंड विधान सभा ने भीड़ द्वारा हत्या करने के खिलाफ एक कानून 'भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक' पारित किया है। जबकि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इसका विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार किया और कहा कि यह कानून एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के लिए जल्दबाजी में लाया गया है। इस कानून में यह प्रावधान है कि दो या दो से अधिक लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा को मॉब लिंचिंग माना जाएगा और उसमें भाग लेने वाले लोगों को उम्रकैद के साथ-साथ 25 लाख रुपये तक जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है। यदि भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को जख्मी किया जाता है तो भी इस भीड़ में शामिल सभी लोगों को दस वर्ष से लेकर उम्रकैद की सजा दी जाएगी और उन पर तीन से पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। यही नहीं जो व्यक्ति मॉब लिंचिंग के अपराध से संबंधित किसी सुबूत को नष्ट करने का आरोपी पाया जाता है उसे भी एक वर्ष कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा दी जा सकती है। विधान सभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए संसदीय मामलों के मंत्रो आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में 2016 से लेकर अब तक भीड़ द्वारा हिंसा की 56 घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे मामलों में कमजोर वर्ग से संबंधित लोग हिंसा का शिकार बनते हैं। इसलिए कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने ओर ऐसी हरकत करने वालों को रोकने के लिए सख्त सजा देने का यह कानून बनाया गया है। इस कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक के पद का व्यक्ति नोडल अधिकारी होगा जो कि

राज्य स्तर पर हर महीने कम-से-कम एक बार सभो जिलों के गुप्तचर विभाग के प्रमुखों से बैठक करके स्थिति पर विचार करेगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 दिसंबर) के अनुसार झारखंड में मॉब लिंचिंग विरोधी कानून के पारित होने के दो दिन बाद ही हिंदुत्ववादियों की एक भीड़ ने साजिद नामक एक मुस्लिम युवक को घेरकर उससे मारपीट की। यह घटना लेस्लीगंज थाने के करमा नामक गांव की है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव वालों का दावा है कि दोषी युवक ने गांव की लड़कियों से छेड़छाड़ की थी इसलिए उसे सजा दी गई है। अभी तक पुलिस ने इस संदर्भ में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।

इंकलाब (24 दिसंबर) के अनुसार मानवाधिकार समर्थक प्रो. अपूर्वानंद ने कहा है कि इस तरह के कानून से समाज में एक सख्त संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस देश में जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है वह इस देश के संविधान और उसके सेक्युलर ढांचे पर हमला है। मोमिन कांफ्रेंस के प्रमुख आर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शकील उज्जमान अंसारी ने इस कानून का स्वागत किया है और कहा है कि जब तक ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं बनाए जाते तब तक इनको रोकना संभव नहीं होगा।

रोजनामा सहारा (25 दिसंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस कानून का स्वागत किया है और कहा है कि इससे कमजोर वर्ग में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 24 दिसंबर के संपादकीय में इस कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के चुनावी घोषणापत्र में ऐसा कानून बनाने का वायदा किया था जिसे उन्होंने पूरा कर दिखाया है। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद मोदी

सरकार ने ऐसा कानून बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मॉब लिंचिंग करने वाले लोग जब अपने काले कारनामों का वीडियो बनाते हैं तो वे अपने राजनीतिक आकाओं को अपनी कारगुजारियों से अवगत कराते हैं। ऐसे हालात में मॉब लिंचिंग के कारण सत्ता में आने वाली भाजपा ऐसी हरकतों को रोकने के लिए कानून कैसे बना सकती है? यही कारण है कि झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इस कानून का विरोध करते हुए उसे काले कानून की संज्ञा दी है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस कानून में पीड़ितों को मुआवजा देने की भी जो व्यवस्था की गई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जरूरी है कि देश की अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाएं।

औरंगाबाद टाइम्स (28 अगस्त) ने भी इस कानून का समर्थन किया है और कहा है कि मणिपुर के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया है। हालांकि इससे पूर्व राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारें भी इस तरह का कानून बना चुकी हैं मगर झारखंड की सरकार ने जो कानून बनाया है वह काफी सख्त है और उसमें मॉब लिंचिंग के लिए उकसाने वाले व्यक्तियों के लिए भी सजा की व्यवस्था की गई है।

गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में

इंकलाब (17 दिसंबर) के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द किए जाने और उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करने के बयान के बाद गुरुग्राम में जुमा की नमाज की अदायगी के बारे में अनिश्चिय की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने मुसलमानों को जुमा की नमाज अदा करने के लिए वैकल्पिक स्थानों की कोई सूची उपलब्ध नहीं करवाई है। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने शरारती तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना की याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने हरियाणा पुलिस के महानिदेशक पी.के. अग्रवाल और मुख्य सचिव संजीव कौशल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है जो नमाज जुमा की अदायगी में रूकावट डालने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चलाने वाले लोगों को सभी लोग जानते-पहचानते हैं मगर पुलिस उनके खिलाफ जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय को यह भी बताया गया है कि जिन स्थानों पर मुसलमान नमाज अदा करने का प्रयास कर रहे थे वह उन्हें स्थानीय प्रशासन ने आवंटित किए थे। मोहम्मद अदीब ने कहा है कि उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे तनाव पैदा न करें और आसपास के क्षेत्रों में जाकर नमाज अदा करें।

एक अन्य समाचार के अनुसार गुरुग्राम के मुस्लिम नेता मौलाना साबिर कासमी ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात की है और उनसे अनुरोध किया है कि गुरुग्राम में जुमे की नमाज अदा करने का मामला काफी संवेदनशील है। इसलिए इस विवाद को जल्द-से-जल्द सुलझाया जाए। उन्होंने मांग की है कि मुसलमानों के जिन मस्जिदों, कब्रिस्तानों एवं वक्फ भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उन्हें उससे मुक्त करके ये सभी संपत्तियां मुसलमानों के हवाले किए जाएं। गुरुग्राम के सभी सेक्टरों में मस्जिदों के लिए स्थान आवंटित किए

जाएं ताकि वहां पर मुसलमान नमाज अदा कर सकें। उन्होंने सोहना रोड़ पर सेक्टर 49 में हज हाउस के निर्माण की भी मांग की है। उन्होंने शीतला माता मंदिर क्षेत्र की मस्जिद से सील हटाने की मांग की है जिस को प्रशासन ने 2016 में सील कर दिया था।

इंकलाब (11 दिसंबर) ने एक समाचार प्रकाशित करके यह शिकायत की है कि गुरुग्राम के सेक्टर 37 में मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई है। नमाज की निर्धारित स्थान पर गाड़ियां खड़ी कर दी गई थीं, जिसके कारण नमाज नहीं हो सकीं। अतिवादी हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने इस अवसर पर मुस्लिम विरोधी नारे भी लगाए। हालांकि मौके पर पुलिस भारी संख्या में तैनात थी। मगर उन्होंने शरारती तत्वों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ने कहा है कि अब हम किसी भी स्थान पर मुसलमानों को खुले में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं देंगे। जबकि मुस्लिम एकता मंच ने मांग की है कि प्रशासन ने जो स्थान खुले में नमाज के लिए निर्धारित कर रखी है उन पर उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए।

इसी समाचारपत्र ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान भी प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार खुले स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को नमाज अदा करने की अनुमति नहीं देगी। नमाजी अब मस्जिदों में नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि हम इस विवाद को सुलझाने के लिए अल्पसंख्यकों से बातचीत कर रहे हैं ताकि आपस में कोई झगड़ा न हो।

इंकलाब (10 दिसंबर) के अनुसार हरियाणा विधान सभा के तीन मुस्लिम विधायकों ने हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया है कि वे गुरुग्राम के नमाज विवाद में हस्तक्षेप करें और नमाज अदा करने वालों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार दिलाएं। इस प्रतिनिधिमंडल में आफताब अहमद, चौधरी मोहम्मद इल्यास और मम्मन खान शामिल थे।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 दिसंबर) के अनुसार गुरुग्राम में नमाज के मामले की गूंज हरियाणा विधान सभा में भी सुनाई दी। प्रश्नोत्तर काल में यह मामला विधायक आफताब अहमद ने उठाते

हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के हाल के बयान की निंदा की जिस पर मुख्यमंत्री और विधायक में काफी गरमा गरमी हुई। आफताब अहमद ने आरोप लगाया कि नमाज में रूकावट डालने वाले लोगों को मुख्यमंत्री गत कई वर्षों से उकसाकर तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने मांग की कि समाज विरोधी तत्वों ने वक्फ बोर्ड की जिस जमीन और मस्जिदों पर कब्जा कर रखा है उन्हें उनके अवैध कब्जों से मुक्त करने के लिए सरकार सख्त कार्रवाई करे।

इंकलाब (12 दिसंबर) के अनुसार पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने आरोप लगाया कि आरएसएस का विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जानबूझकर गुरुग्राम में नमाज की अदायगी के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंच के कुछ मुस्लिम नेता जो कि वहां नहीं रहते वे जानबूझकर मामले को उलझा रहे हैं। इसलिए हमने इस मामले के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

उर्दू की उपेक्षा का विवाद

चुनाव की चर्चा शुरू होते ही कुछ लोगों ने एक वर्ग को सरकार के खिलाफ उकसाने का अभियान छेड़ दिया है। इस बार दिल्ली के कॉलेजों में उर्दू की शिक्षा बंद करने को मुद्दा बनाया गया है।

इंकलाब (20 दिसंबर) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित खालसा कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज में उर्दू का विभाग बंद कर दिया गया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि इन कॉलेजों में उर्दू विभाग के प्राध्यापकों के स्थाई पद स्वीकृत हैं मगर पुराने अध्यापकां के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर नई नियुक्ति नहीं की गई है और उर्दू विभाग को बंद करके वहां पर छात्रों को प्रवेश देने से इंकार किया जा रहा है। 10 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद और 17 दिसंबर की कार्यकारी परिषद की बैठक में भी यह मामला जोर-शोर से उठाया गया था और इन कॉलेजों में उर्दू की शिक्षा पुन: शुरू करने की मांग की गई थी। डॉ. इम्तियाज अहमद ने आरोप लगाया है कि यह कदम उर्दू विरोधी लॉबी के इशारे पर उठाया गया है। हमने बार-बार इस मामले को उठाया है मगर उस समय के उपकुलपति ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी कॉलेजों में उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत पद अभी तक खाली हैं। इसके बावजूद उर्दू की शिक्षा शुरू न करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

रोजनामा सहारा (22 दिसंबर) के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में उर्दू की शिक्षा को बंद किए जाने के मामले में विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने कहा है कि समाचारपत्र में पकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए उन्होंने यह नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब-तलब किया है। इन नोटिसों का जवाब आने के बाद आयोग अगली कार्रवाई करेगा।

इंकलाब (23 दिसंबर) के अनुसार यह मामला सिर्फ उर्दू तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य कई भारतीय भाषाओं को भी इसका शिकार बनाया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कला संकाय की डीन और उर्दू विभाग की प्रमुख डॉ. नजमा रहमानी ने कहा है कि उन्होंने इस मामले को शैक्षणिक परिषद में उठाया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग बंद हो रहे हैं तब कुछ लोगों ने इसे देश की बदलती हुई राजनीतिक हवा करार दिया था। उन्होंने कहा कि यह कोई

सांप्रदायिक मामला नहीं है बल्कि कई अन्य भारतीय भाषाओं के विभाग बंद हो रहे हैं। इसलिए इसे सांप्रदायिक भेदभाव के मामले का रंग देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि खालसा कॉलेज में उर्दू विभाग 2004 में बंद हो गया था। जबकि मिरांडा हाउस 1980 और हिंदू कॉलेज में 1970 में उर्दू विभाग बंद हुए थे मगर इस मामले को किसी ने अभी तक नहीं उठाया। अब इस मामले को उठाया जा रहा है और इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कट-ऑफ मार्क्स के आधार पर जिन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है उनमें से अधिकांश उर्दू की शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते। जबकि सेंट स्टीफन कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान है और वहां पर उर्दू विभाग चल रहा है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज में उर्दू और बंगाली दोनों के विभाग बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी सांप्रदायिक भावना के कारण उर्दू विभाग बंद नहीं किए गए हैं।

इंकलाब (12 दिसंबर) के अनुसार उर्दू की उपेक्षा केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश के अन्य भाग भी इससे प्रभावित हैं। सफदर इमाम कादरी ने शिकायत की है कि बिहार में उर्दू भाषा से संबंधित सभी संस्थानों के प्रमुख के रूप में वर्षों से किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। सरकार की उर्दू दुश्मनी नीति के कारण राज्य के 12 हजार उर्दू अध्यापक सड़क पर हैं क्योंकि उनके लिए सरकारी स्कूलों में उर्दू की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझकर उर्दू की उपेक्षा कर रहे हैं।

सियासत (24 दिसंबर) ने एक समाचार मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है- 'मुसलमानों को मादरी जुबान में शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की साजिश'। इस समाचार में यह शिकायत की गई है कि हालांकि तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी भाषा ह मगर इसके बावजूद उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तेलंगाना के 33 जिलों में 18 डिग्री कॉलेज हैं, जिनमें उर्दू माध्यम की शिक्षा व्यवस्था थी। इनमें 400 छात्र कॉलेजों में उर्दू की डिग्री की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जबकि अन्य 13 जिलों में भी उर्दू माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था थी मगर अब इनमें से अधिकांश में उर्दू माध्यम की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं और नए लोगों को उनमें भर्ती नहीं किया जा रहा है। समाचारपत्र ने मांग की है कि उर्दू के साथ अन्याय को दूर किया जाए।

विश्व

तालिबान द्वारा महिलाओं की यात्रा पर प्रतिबंध

इंकलाब (27 दिसंबर) के अनुसार तालिबान ने यह घोषणा की है कि भविष्य में कोई भी अफगान महिला अकेले यात्रा नहीं कर सकेगी और बिना बुर्का पहने महिला को किसी भी वाहन में सवार होने की अनुमति नहीं होगी। अफगान महिलाएं सिर्फ एक ही स्थिति में यात्रा कर सकती हैं जब उनके साथ कोई ऐसा पुरुष हो जिससे निकाह करने पर शरा के अनुसार प्रतिबंध हो। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान टेलीविजन के विभिन्न कार्यक्रमों में भी अफगान महिलाओं के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेलीविजन एंकरों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे हिजाब पहनकर ही समाचार प्रस्तुत करें।

हालांकि तालिबान ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि हिजाब के तहत महिलाओं को अपना सिर ढंकना होगा या चेहरे पर पर्दा करना होगा या पूरे शरीर को बुर्के से ढंकना होगा। अभी तक अफगान महिलाओं के लिए स्कार्फ पहनना ही अनिवार्य था। तालिबान सरकार की इस घोषणा से साफ है कि अफगानिस्तान कट्टर इस्लामिक शासन की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार अफगान सरकार ने चुनाव आयोग को भंग कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा है कि हमें चुनाव आयोग की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग का गठन 2006 में किया गया था और उसे देश में सभी तरह के चुनावों का संचालन करने का अधिकार था। अशरफ गनी सरकार के दौर में रहे चुनाव आयोग के प्रमुख औरंगजेब का कहना है कि तालिबान न यह फैसला जल्दबाजी में लिया है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे शत-प्रतिशत इस बात का विश्वास है कि अब यहां कभी चुनाव नहीं हो सकेंगे और प्रशासन को शरा के अनुसार चलाया जाएगा। इससे अफगान जनता की

कठिनाईयों में और भी वृद्धि होगी। पूर्व गवर्नर हलीम फिदाई का कहना है कि तालिबान की ओर से चुनाव आयोग के भंग करने का साफ अर्थ यह है कि वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और वे शासन को इस्लामिक शरा के अनुसार चलाना चाहते हैं। उन्हें बैलेट पर नहीं बल्कि बुलेट पर विश्वास है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद चुनाव आयोग के कई अधिकारियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। नए शासन ने दो महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों को भी भंग करने की घोषणा की है। इनमें शांति मामलों का मंत्रालय और संसदीय मामलों का मंत्रालय शामिल है। इससे पूर्व तालिबान सरकार महिलाओं से संबंधित सभी विभागों को भंग करने की घोषणा कर चुकी है।

अफगानिस्तान में विफलता की जांच के लिए आयोग

इंकलाब (17 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका सरकार ने अफगानिस्तान में हुई विफलता की जांच के लिए एक जांच आयोग गठन करने की घोषणा की है। इस आयोग के गठन की अमेरिका के दोनो सदन पुष्टि कर चुके हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए वहां से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन की घोषणा की थी मगर जिस तरह से अमेरिका को वहां से अचानक भागना पड़ा है उसे अमेरिकी प्रशासन अपनी विफलता मान रहा है। अमेरिकी सरकार के सूत्रों के अनुसार इस जांच आयोग में 16 सदस्य होंगे, जिनका मनोनयन दोनों सदन मिलकर करेंगे। यह आयोग एक वर्ष के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर देगा और तीन वर्ष के भीतर विस्तृत रूप से जांच रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को सौंपेगा। यह आयोग अफगानिस्तान में अमेरिकी नीति और सुरक्षा से संबंधित मामलों की विवेचना करेगा और इस बात की जांच करेगा कि अमेरिकी नीति अफगानिस्तान में क्यों विफल रही है? आयोग भविष्य में ऐसी कार्रवाईयों के लिए रणनीति तैयार करने के बारे में भी अपनी सिफारिशें पेश करेगा।

गौरतलब है कि 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तालिबान की बढती हुई ताकत को रोकने के लिए हजारों सैनिक भेजे थे। मगर इस लंबे युद्ध में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी और उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए जो समय सीमा तय की थी उससे पूर्व ही तालिबान ने अचानक काबुल पर कब्जा कर लिया। यह आयोग पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डबल्यू. बुश की ओर से अफगानिस्तान में युद्ध शुरू करने के साथ-साथ 2001 से अफगानिस्तान के बारे में अमेरिकी नीतियों का भी बारिकी से अध्ययन करेगा। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने जो रक्षा बजट पास किया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 28 अरब डॉलर की वृद्धि की गई है और सैनिकों के वेतन में भी वृद्धि की मंजूरी दी गई है।

फ्रांस की एक मस्जिद पर ताला

मुंबई उर्दू न्यूज (17 दिसंबर) के अनुसार फ्रांस के गृहमंत्री गेराल्ड डार्मिनिन ने यह घाषणा की है कि फ्रांस से 100 किलोमीटर दूर शहर ब्यूवैस की एक मस्जिद को छह महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इस शहर में मुसलमानों की आबादी 50 हजार के करीब बताई जाती है। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के इमाम अपने प्रवचनों द्वारा फ्रांसीसी समाज में अशांति पैदा कर रहे थे और वे ईसाईयों, समलैंगिकों और यहूदियों को अपना निशाना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की कुछ मस्जिदों में लोगों को नफरत, हिंसा और जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है जिसे सरकार सहन नहीं कर सकती। एक स्थानीय समाचारपत्र के अनुसार इस मस्जिद के इमाम ईसाई धर्म छोड़कर हाल ही में इस्लाम स्वीकार करके मुसलमान बने थे। गृहमंत्री ने कहा कि फ्रांस सरकार अतिवादी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ देशव्यापी छानबीन का अभियान शुरू कर रही है। अब उसमें और वृद्धि की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2020 में एक अध्यापक की छात्र द्वारा हत्या किए जाने के बाद की गई थी। फ्रांसीसी गृह मंत्रालय ने हाल के महीनों में फ्रांस की कुल 2623 मस्जिदों में से 100 से अधिक मस्जिदां की गतिविधियों के संबंध में जांच की है। क्योंकि इन मस्जिदों से निरंतर पृथकतावादी और जिहादी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। अब तक 21 मस्जिदों को सरकार बंद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार अनेक अन्य मस्जिदों की गतिविधियों की बारिकी से जांच कर रहो है और जो भी संगठन इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पाकिस्तान आतंकवाद के जाल में

रोजनामा सहारा (19 दिसंबर) के अनुसार कराची के प्रमुख इलाक शेर शाह में हुए बम धमाकों में कम-से-कम 16 व्यक्ति मारे गए और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में कराची से निर्वाचित सांसद आलमगीर खान के पिता भी शामिल हैं। सरकार ने मामले को रफा-दफा करने का प्रयास करते हुए यह दावा किया है कि यह धमाका सीवरेज लाइन में गैस भर जाने के कारण हुआ है। धमाके क कारण एक दो मंजिला इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जबकि उसके नजदीक स्थित पेट्रोल पंप, शोरूम और अन्य भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद नगर में आपातकाल की घोषणा की गई है।

वॉयस ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि मोहम्मद शाकिब के अनुसार मरने वालों में बैंक के तीन कर्मचारी और दो गार्ड भी शामिल हैं। बैंक बंद होने के कारण वहां पर स्टाफ कम था। सरकारी प्रवक्ता ने इस बात की घोषणा की है कि अभी मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और अधिक शवों क मिलने की संभावना है। कराची पुलिस के प्रमुख गुलाम नबी मेमन ने कहा कि हम इस धमाके क सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। अभी तक इसके पीछे आतंकवादियों के हाथ होने की पुष्टि नहीं हुई है। जबकि सुई गैस निगम के प्रबंधकों ने कहा है कि उन्हं इस धमाके के पीछे सीवरेज गैस में धमाके होने की संभावना नजर नहीं आती। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार इस मामले में सभी दृष्टिकोण को सामने रखकर जांच करे।

इंकलाब (25 दिसंबर) के अनुसार बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसमें कम-से-कम दो सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मीडिया के अनुसार इस हमले के पीछे बलोच लिब्रेशन आर्मी का हाथ है जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने का अभियान चला रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारी दो दर्जन से अधिक थे और वे अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैश थे। उन्होंने यह हमला एक सुरक्षा जांच चौकी पर किया। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस हमले के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनके अड्डे अफगानिस्तान में हैं। बलूचिस्तान और सिंध में काफी समय से अतिवादी संगठन सक्रिय हैं। जर्मन संवाद समिति 'डीपीए' के अनुसार बलूचिस्तान में जो सशस्त्र विद्रोही सक्रिय हैं वे पाकिस्तान में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के खिलाफ हैं। उनकी ओर से पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक गलियारे का निरंतर विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि चीन पाकिस्तान में पूंजी निवेश करके बलूचिस्तान को आर्थिक रूप से अपना गुलाम बनाना चाहता है।

यूक्रेन और रूस के बीच समझौते की संभावना

हमारा समाज (25 दिसंबर) के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात का संकेत दिया है कि यूक्रेन की सीमा पर दोनों देशों की ओर से सैनिकों की तैनाती को लेकर बढ़ रहे तनाव के बारे में अगले महीने वार्ता की संभावना है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें आशा है कि जेनेवा में होने वाली वार्ता के परिणाम आशाजनक होंगे। उन्होंने यह संकेत दिया है कि रूस कुछ सैनिक कदम उठा सकता है। किंतु उन्होंने यूक्रेन पर हमले का खंडन किया है। जबकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि हाल ही में एक लाख से अधिक रूसी सैनिक उनकी सीमा पर भेजे गए हैं। अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो उनकी ऐसी हालत होगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने रूस के राष्ट्रपति की उस मांग पर कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका पूर्वी यूरोप में नाटो की सभी गतिविधियों को बंद कर देगा और यूक्रेन को इस गठबंधन में शामिल नहीं करेगा। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका इस बात का प्रयास कर रहा है कि हालात और न बिगड़े। अगर रूस ने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो अमेरिका द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा।

हाल ही में रूस के राष्ट्रपति से यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते हुए तनाव की चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका या ब्रिटेन की सीमा पर नहीं गए बल्कि वे हमारी सीमा पर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका नाटो की आड़ में पांच बार रूस से धोखा कर चुका है और हम अब इसको और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं और अगर अमेरिका वार्ता शुरू करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह मास्को की मांग को मान लेगा और नाटो की सेना 1997 के अपने ठिकानों पर वापस चली जाएंगी।

बताया जाता है कि पोलैंड और बाल्कन के साथ-साथ पश्चिमी यूरोप के देश भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अमेरिका उन्हें रूस की दया पर छोड़ दे। रूस की एक मांग यह भी है कि अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि वह यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो गठबंधन में शामिल नहीं करेगा। रूस ने 2008 में जॉर्जिया पर हमला किया था और 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया था। हाल ही में रूस ने क्रीमिया में और अधिक सैनिक भेजे हैं और रूसी सेना वहां पर सैनिक अभ्यास कर रही है। जर्मनी ने रूसी सैनिकों की गतिविधियों पर चिंता प्रकट की है।

दुबई शासक तलाक हेतु पत्नी को 55 करोड़ पाउंड देंगे

मुंबई उर्दू न्यूज (23 दिसंबर) के अनुसार दुबई के शासक शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम और उनकी पत्नी शहजादी हया के बीच तलाक के लिए जो मुकदमा गत दो वर्षों से जो चल रहा था उसका फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले के अनुसार दुबई के शासक को अपनी पूर्व पत्नी 47 वर्षीय हया बिंत हुसैन को तलाक में मुआवजे के तौर पर 55 करोड़ पाउंड अदा करने होंगे।

इंकलाब (22 दिसंबर) के अनुसार इसके अतिरिक्त दुबई के शासक को अपने दो बच्चों को पालने के लिए भी शहजादी हया को 73 करोड़ 30 लाख लाख डॉलर की रकम देनी होगी। मीडिया सूत्रों के अनुसार ब्रिटिश हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इसमें से 25 करोड़ दस लाख पाउंड की धनराशि उन्हें तीन महीने के भीतर पूर्व पत्नी को अदा करनी होगी। जबकि 14 वर्षीय पुत्री जलीला और 9 वर्षीय पुत्र जायेद के लिए इसी अवधि में उन्हें क्रमशः 30 लाख पाउंड और 1 करोड़ पाउंड भी अदा करने होंगे। इन बच्चों की सुरक्षा के लिए भी उन्हें प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 13 लाख पाउंड अदा करने होंगे। हालांकि ब्रिटिश फैमिली कोर्ट के इतिहास में यह सबस बड़ी धनराशि है मगर शहजादी हया ने तलाक और अपने सामान के बदले में डेढ़ अरब पाउंड की जो मांग की थी उसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया है और उन्हें सिर्फ आधी धनराशि ही प्रदान की है।

गौरतलब है कि दुबई के शासक शेख राशिद अल-मकतूम से जॉर्डन के बादशाह हुसन की पुत्री हया की शादी 2004 में हुई थी। यह उनकी छठी पत्नी है। दो वर्ष पूर्व शहजादी हया अपने दो बच्चों के साथ दुबई से भागकर जर्मनी पहुंच गई थी और उन्होंने वहां की सरकार से राजनीतिक शरण मांगी थी। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उनके पति उनसे मारपीट करते हैं और उन्हें अपने महल में कैदी बना रखा था इसलिए तंग आकर उन्होंने अपने दो बच्चों के

साथ वहां से भाग जाने का फैसला किया था। उनके जर्मनी पहुंचने के समाचार प्रकाशित हाने के बाद दुबई के शासक अल-मकतूम ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने अपनी पत्नी से सभी तरह के संबंध तोड़ लिए हैं। मगर उन्होंने अपने दोनों बच्चों की वापसी की इच्छा व्यक्त की थी। शहजादी हया क्योंकि जॉर्डन के वर्तमान शासक अब्दुल्ला द्वितीय की बहन हैं इसलिए इस घटना से इन दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया है।

शहजादी हया ब्रिटिश नागरिक भी हैं इसलिए उन्होंने जर्मनी से ब्रिटेन जाकर वहां पर अपने तलाक और बच्चों के गुजारे के लिए मुकदमा दायर किया था। दुबई के शासक की उम्र 72 वर्ष की है और उनके अन्य सात बेगमों से 23 बच्चे भी हैं। अदालत ने अपने फैसले में दुबई के शासक को अपनी पूर्व पत्नी को दो महल भी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पूर्व पत्नी और उनके दोनों बच्चों के लिए हर वर्ष छुट्टियां मनाने का सारा खर्च दुबई के शासक को देना होगा। इसके साथ ही उन्हें शहजादी हया और उनके बच्चों के सभी नौकरों एवं पालतू परिंदों का भी सारा खर्च शासक को देना होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अल-मकतूम को अपने दोनों बच्चों को प्रत्येक वर्ष 56-56 लाख रुपए भी अदा करने होंगे। बच्चों को यह रकम नियमित रूप से मिलती रहे इसके लिए अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अल मकतूम लंदन की एक बैंक में 29 करोड़ पाउंड जमानत के रूप में जमा करवाएं।

गोलन पठार पर यहूदी आबादी दोगुनी करने का फैसला

इंकलाब (28 दिसंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनको सरकार ने देश गोलन पठार पर आबाद यहूदियों की आबादी को दोगुना करने का फैसला किया है। इस योजना को इजरायली मंत्रिमंडल ने विधिवत मंजूरी भी दे दी है। गौरतलब है कि इजरायल ने 1967 के युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर कब्जा किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी तक इजरायल के इस कब्जे को मान्यता नहीं दी है और इसे विवादित क्षेत्र माना जाता है। किंतु अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तीन वर्ष पूर्व इस क्षेत्र को इजरायल के क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी थी। इसके बाद इस क्षेत्र में अमेरिका ने भारी मात्रा में पूंजी निवेश भी किया है। हालांकि यूरोप के कई देश अब भी इस क्षेत्र को विवादित क्षेत्र ही मानते हैं मगर अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने भी पूर्व राष्ट्रपति के इस फैसले को मान्यता दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में यहूदियों के दो नए नगर बसाए जाएंगे। इसके लिए 21 करोड़ डॉलर खर्च किए जाएंगे।

गौरतलब है कि गोलन पठार पर इस समय 50 हजार से अधिक लोग रहते हैं। इनमें से आधे इजरायली यहूदी हैं। जबकि शेष अरब और अल्वी

शिया हैं। इजरायल सरकार के इस नए फैसले के तहत वहां पर अब यहूदियों की संख्या एक लाख से ऊपर हो जाएगी।

इजरायल ने 1967 के युद्ध में सीरिया के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1981 में उसे इजरायल में शामिल करने की विधिवत घोषणा की गई। मगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मानने से इंकार कर दिया। वह इसे अब भी सीरिया का ही अंग मानता है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस क्षेत्र को क्योंकि इजरायल का अंग मान लिया गया है इसलिए इजरायल ने इस क्षेत्र में पूंजी निवेश करने का फैसला किया है। जबकि सीरिया और उसके मिलिशिया हमास के अनुसार सीरिया की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र को इजरायल के गैरकानूनी कब्जे से मुक्त किया जाए। विश्लेषकों का अनुमान है कि इजरायल के इस फैसले से अरब जगत में और तनाव बढ़ेगा। ■

मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमीन के नेता को उम्रकैद की सजा

मुंबई उर्दू न्यूज (21 दिसंबर) के अनुसार मिस्र के सर्वोच्च न्यायालय ने इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के प्रमुख महमूद इज्जत को विदेशी संगठनों के साथ गठबंधन करके देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील के अनुसार देश में आतंकवादी गतिविधियों का प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने ईरान के आतंकवादी संगठन पासदारान-ए-इंकलाब, हमास और हिजबुल्लाह के लिए अपने देश में जासूसी की और उनके सहयोग से देश को हिंसा की आग में झोंकने का मंसूबा बनाया। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने देश की सुरक्षा स संबंधित जानकारी विदेशी सूत्रों को उपलब्ध कराई और मिस्र के हितों के खिलाफ काम करने वाले विभिन्न गुटों के साथ गुप्त गठबंधन किया। इतना ही नहीं हिंसक गतिविधियों के लिए फंड उपलब्ध कराया और गाजा क्षेत्र में आतंकवाद के गुप्त शिविरों का संचालन किया और उन्हं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई ताकि उनके सहयोग से विश्व भर में इख्वानुल मुस्लिमीन के तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके और मिस्र की सुरक्षा, स्थिरता को तार-तार किया जा सके।

सरकार ने इस बात की भी पुष्टि की है कि महमूद इज्जत जनवरी 2011 में इख्वान के

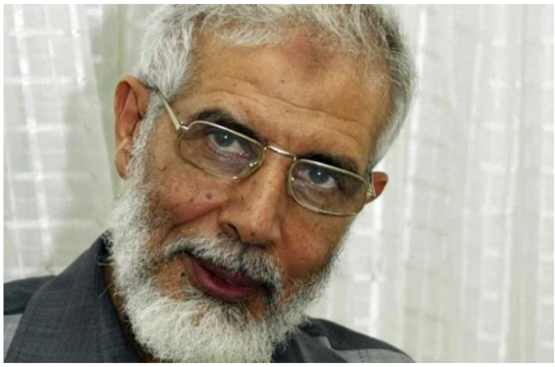

प्रमुख के साथ-साथ उसकी ओर से बनाए जाने वाली सभी योजनाओं के भी प्रमुख थे। उनके संकेत पर इ ख्वान के कार्यकर्ताओं को देश के खिलाफ मानसिक युद्ध, अफवाह फैलाने, अस्त्र-शस्त्र के इस्तेमाल और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का प्रशिक्षण दिया गया। उनका इरादा विदेशी ताकतों के साथ मिलकर मिस्र की सरकार का तख्ता पलटना था। अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे विदेशों में अनेक बैठकों और गुप्त सम्मेलनों में शामिल हुए। उनका लक्ष्य मिस्र की सरकार पर कब्जा करना था।

टिप्पणी: इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) एक कट्टरपंथी सुन्नी इस्लामिक अतिवादी संगठन है। जिसकी स्थापना मिस्र में प्रमुख इस्लामिक विद्वान और अध्यापक हसन अल-बन्ना ने 1928 में की थी। विभिन्न उग्रवादी

मुस्लिम संगठनों के सहयोग से 2011 में मिस्र में हुई क्रांति के बाद चुनाव को आड़ में इस संगठन ने मिस्र की सत्ता पर 2012 में कब्जा कर लिया। इससे पूर्व भी इस संगठन ने कम-से-कम तीन बार 1948, 1954 और 1965 में मिस्र के तत्कालीन शासकों की हत्या करने के बाद सत्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया था। इस संगठन का मकड़जाल विश्व के 80 देशों में फैला हुआ है। इसके प्रमुख का मुख्यालय काहिरा में है। हमास जैसे संगठनों को स्थापित करने में इसका प्रमुख हाथ रहा है। 2012 में हुए चुनाव में इस संगठन के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी ने पांचवें राष्ट्रपति के रूप में मिस्र की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। मगर जुलाई 2013 में सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतह अल-सिसी ने विद्रोह का झंडा बुलंद करके मुर्सी को गिरफ्तार कर लिया और बाद में कैद में ही रहस्यमय ढंग से मुर्सी की मौत हो गई। नए शासक अल-सिसी ने इख्वानुल मुस्लिमीन को अवैध संगठन घोषित कर दिया और उससे संबंध रखने वाले 50 हजार लोगों को जेलों में बंद कर दिया। इसके खिलाफ देश भर में उग्र प्रदर्शन हुए जिसे सेना ने सख्ती से दबा दिया। इसमें कई हजार लोग मारे भी गए। बाद में सैनिक शासक ने मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जिन्होंने 1500-2000 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया।

सऊदी अरब में क्रिसमस की धूम

मुंबई उर्दू न्यूज (27 दिसंबर) के अनुसार सऊदी सरकार यहूदियों और ईसाईयों के हाथ में खेल रही है। यही कारण है कि सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर सऊदी अरब के बाजारों में क्रिसमस से संबंधित सजावट का सामान खूब बेचा गया। और कई मुसलमानों ने भी क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए सामानों की खरीदारी की। इस अवसर पर देश के अनेक पार्कों में बुर्कापोश मुस्लिम महिलाएं भी क्रिसमस का त्योहार मनाते हुए नजर आईं। उन्होंने दुकानों में क्रिसमस के लिए चॉकलेट, सजावटी वृक्ष और सांता क्लॉज के लाल रंग के लिबास और टोपियां भारी संख्या में खरीदी। सऊदी अरब में गत सात वर्षों से रहने वाली एक अमेरिकी महिला ने अरब न्यूज को बताया कि जब वह यहां आई थी तो किसी भी ईसाई को क्रिसमस मनाने की अनुमति नहीं थी और न ही इस अवसर पर बाजारों में क्रिसमस से जुड़ी हुई सजावटी वस्तुएं ही दिखाई देती थीं। किसी भी व्यक्ति को घर के भीतर भी क्रिसमस मनाने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई गुप्त रूप से क्रिसमस मनाते पकड़ा जाता तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। उन्होंने कहा कि अब माहौल बदल गया है। धार्मिक सद्भावना बढ़ रही है। इस बार अनेक होटलों और रेस्टोरेंट में क्रिसमस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है।

इसी समाचारपत्र ने 22 दिसंबर के अंक में इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि सऊदी अरब में इस्लामिक परंपराओं और शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सऊदी युवराज सलमान ईसाईयों और यहूदियों के हाथों में खेल रहे हैं। रियाद और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में नाच और गाने की महफिलें सजाई गई हैं, जिसे साउंड स्टारडम म्यूजिक फेस्टिवल का नाम दिया गया है। इसमें सात लाख से अधिक सऊदी पुरुष और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली अधिकांश मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का नहीं पहना हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में युवा पुरुष और महिलाओं ने बेपर्दा होकर एक साथ नाच-गाने में हिस्सा लिया। सऊदी अरब की बदलती हुई तस्वीर की इस्लामिक विद्वानों द्वारा आलोचना की जा रही है। हाल ही में अनेक आलोचक विद्वानों को सरकार ने जेलों में भी बंद कर दिया है।

सऊदी अरब का हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियान

इंकलाब (28 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैनिक गठबंधन ने यह आरोप लगाया है कि ईरान और हिजबुल्लाह सऊदी अरब पर होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों में यमन के हूती विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं और हाल में इन हमलों में कम-से-कम दो लोग मारे गए हैं। ईरान ने इस आरोप का खंडन किया है। सैनिक गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह आरोप लगाया है कि हूती विद्रोही सना हवाई अड्डे को सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में यह आरोप लगाया कि साना में स्थित गुप्त शिविरों में हिजबुल्लाह की ओर से हूतियों को बारूदी सुरंगें इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें ड्रोन में विस्फोटक पदार्थ लगाना भी सिखाया जाता है। अल-मलिकी ने कहा कि विश्व भर के देशों को ईरान के आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। जनवरी 2018 से लेकर अब तक हूती सऊदी अरब पर 430 बैलिस्टिक मिसाइल और 850 ड्रोन दाग चुके हैं।

मीडिया के अनुसार सऊदी सैनिक गठबंधन ने साना पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। मेजर जनरल अल-मलिकी ने कहा कि हमें हूतियों के ठिकानों का पता है और हम उन्हें तबाह करके ही दम लेंगे। उन्होंने दावा किया कि अब तक 30 हजार से अधिक हूती विद्रोही मारे जा चुके हैं। ईरान ने हूती मिलिशिया को अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करने वाल 100 से अधिक छोटे जलयानों को तबाह किया जा चुका है।

सियासत (28 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में सऊदी अरब में हूतियों के बढ़ते हुए हमलों पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि ईरान की शह पर हूतियों ने 2014 में यमन पर कब्जा कर लिया था और सऊदी अरब समर्थक

मंसूर हादी की सरकार को वहां से भागने पर मजबूर किया था। मंसूर हादी और उनके मंत्री इस समय सऊदी अरब में शरण लिए हुए हैं और अमेरिका की मदद से वे सऊदी अरब की सीमा के भीतर से अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। अमेरिकी युद्ध विमान हूतियों के ठिकानों पर समय-समय पर हमला करते हैं।

समाचारपत्र ने लिखा है कि कभी यमन दो भागों में विभाजित था और बाद में सऊदी अरब के प्रयास से इनमें एकता स्थापित हुई। समाचारपत्र ने कहा है कि यमन के एक क्षेत्र पर पहले सुन्नी मंसूर हादी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ थे। जबकि दूसरे क्षेत्र पर शियाओं का कब्जा था। इस शिया-सुन्नी युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मरने वालों की संख्या एक लाख 30 हजार से भी अधिक बताई जाती है। दुर्भाग्य से अब अरब देशों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि इस्लामिक जगत की रहनुमाई कर सके और इस्लाम के विभिन्न फिरकों में एकता स्थापित करे। शिया और सुन्नियों के बढ़ते हुए झगड़ां के कारण मुस्लिम जगत विभाजित हो गया है और इससे इस्लाम कमजोर हुआ है। शाह फैसल ने इस्लामिक देशों का जो सहयोग संघ स्थापित किया था, वह अब प्रभावी नहीं रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस्लामिक देशों के संगठन को सुदृढ़ बनाया जाए और मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन दिया जाए।

अन्य

मस्जिद कुव्वत–उल–इस्लाम में पूजा करने की याचिका खारिज

इंकलाब (16 दिसंबर) के अनुसार साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम में पूजा करने के संबंध में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और भगवान विष्णु के नाम से दाखिल की गई थी। याचिका दायर करने वालों में हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्रि शामिल थीं। उन्होंने अपनी याचिका मं यह दावा किया था कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को फतह करने के बाद कुतुब मीनार के परिसर में स्थित अनेक जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके इस मस्जिद का निर्माण किया था। आज भी इस मस्जिद के विभिन्न स्तंभों पर हिंदू और जैन देवी–देवता के चित्र अंकित हैं। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि 1991 में संसद एक कानून पारित कर चुकी है, जिसमें यह व्यवस्था है कि 1947 के बाद विवादित उपासना स्थलों की जो स्थिति थी उसे ही यथावत बरकरार रखा जाए।

गौरतलब है कि हरिशंकर जैन आदि को याचिका को लीगल एक्शन फॉर जस्टिस ट्रस्ट की ओर से मोहम्मद असद हयात आदि ने चुनौती दी थी और अदालत से आग्रह किया था कि इस याचिका को खारिज किया जाए। इस ट्रस्ट की ओर से न्यायालय को यह जानकारी दी गई थी कि कुतुब मीनार और उसके संपूर्ण परिसर को भारत सरकार ने 16 जनवरी 1914 को सुरक्षित स्मारक घोषित किया था। इस भवन में गत 800 वर्ष के दौरान कभी भी कोई पूजा अर्चना नहीं हुई है। इस सरकारी अधिसूचना को अभी तक किसी ने चुनौती नहीं दी थी और न ही वहां कोई मंदिर था। ट्रस्ट के इस तर्क को सीनियर सिविल जज नेहा शर्मा ने स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज करने का निर्देश दिया।

जाकिर नाइक के संगठन से मुस्लिम युवक दूर रहें

सियासत (18 दिसंबर) के अनुसार महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने इस बात की घोषणा की है कि विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक का प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन अवैध घोषित किया जा चुका है और अगर कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी तरह का संबंध रखता है तो उसके खिलाफ यूएपीए कानून के तहत कार्यवाही करके गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध की अवधि में विस्तार कर दिया है। यदि कोई युवक अनजाने में इस प्रतिबंधित संगठन से किसी तरह का संबंध बनाए रखता है तो उसके खिलाफ

कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को इस संगठन के नाम पर चंदा इक्ट्ठा करने और उससे संबंधित गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

शबनम शेख की गिरफ्तारी की मांग

मुंबई उर्दू न्यूज (23 दिसंबर) के अनुसार रजा एकेडमी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस के अतिरिक्त कमिश्नर दिलीप सावंत से मुलाकात करके उनसे यह मांग की है कि पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत इब्राहिम और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में शबनम शेख को गिरफ्तार किया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल ने यह दावा किया कि शबनम शेख के खिलाफ अब्दुल रजाक मंसूरी ने एक एफआईआर जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। हालांकि जिन धाराओं के तहत यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है वह गैरजमानती हैं। मगर इसके बावजूद दो सप्ताह गुजर जाने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और वह अभी भी मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बना रही है और पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने यह आरोप लगाया कि ये लोग देश में सांप्रदायिक दंगे करवाने की योजना बना रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

सऊदी अरब द्वारा अफगानिस्तान को सहायता

रोजनामा सहारा (20 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अफगानिस्तान को एक अरब रियाल की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह सहायता मानवीय आधार पर दी गई है।

क्योंकि वहां पर अकाल जैसी स्थिति है और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अगर लोग वहां की गरीब जनता की सहायता के लिए आगे नहीं आए तो वहां पर लाखों लोगों के मारे जाने की संभावना है।

बेनजीर भुट्टो की बरसी पर अवकाश

इंकलाब (28 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के दिवस पर सिंध सरकार ने सूबे में आम छुट्टी की घोषणा की है। देश भर से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में उनकी मजार पर हाजिरी देने के लिए लरकाना पहुंच रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की पूर्व राजनीतिक सचिव नाहीद खान ने

इस बात की आलोचना की है कि हालांकि उनको पार्टी केन्द्र में काफी देर सत्ता में रही मगर इसके बावजूद बेनजीर भुट्टो की हत्या की जांच नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान को बेनजीर भुट्टो जैसे लोगों की बेहद जरूरत है। क्योंकि वर्तमान शासक पाकिस्तान को तबाही की ओर धकेल रहे हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

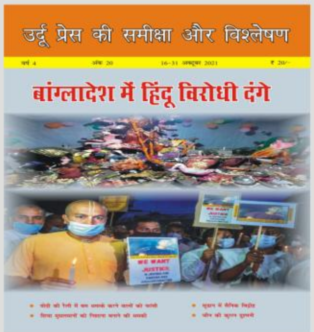

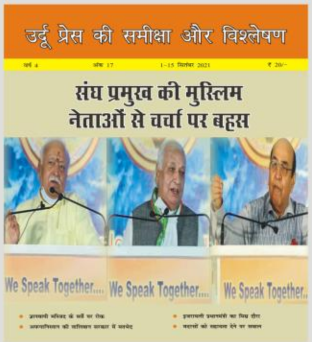

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in